अपील सूचना अधिकार संख्या 45/2020 (GCMS 2020/00072) (पोस्टल ऑर्डर नं. 46एफ 9887860189 राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.03.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 30.12.2019 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2019 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> प्रकरण संख्या पीसी/103/2012 में अभियोजन स्वीकृति जारी करने बाबत, प्रारम्भिक जांच 267/2012 राधेश्याम बनाम अशोक यादव आदि से सम्बन्धित सूचना।
>
> 1. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 16.05.2019 जो श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रस्तुत किया गया था इसका आरआर नम्बर व दिनांक की सूचना।
> 2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम, पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
> 3. पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 30.12.2019 तक जो जो कार्यवाही इस सम्बन्ध में की गई उसकी पत्रावली की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:43 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर प्रशासन, श्रीगंगागर ने अपने पत्र क्रमांक 707 दिनांक 06.08.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी राधेश्याम गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2019 के संदर्भ में कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर पत्रांक 2033 दिनांक 30.12.2019 द्वारा गया जो उनके द्वारा पत्र नहीं लिया गया जिस पर अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को कार्यालय पत्र क्रमांक आरटीआई/2019/2085 दिनांक 31.12.2019 से लिश गया कि आपके द्वारा चाही गई सूचना बाबत जो पत्र व्यवहार किया गया कि प्रति उपलब्ध करवावें ताकि आप द्वारा चाही गई सूचना जिससे सम्बन्धित है उसे लिखा जा सके। अपीलार्थी द्वारा उक्त पत्र व्यवहार की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अपीलार्थी उक्त सूचना उपलब्ध करवा देता तो चाही गई सूचना बाबत सम्बन्धित विभाग को लिखा जाकर सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिख दिया जाता।
>
> प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।
>
> -sd-
> लोक सूचना अधिकारी
> (अति. जिला कलक्टर)
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो [illegible] सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में [illegible] होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए ए[illegible] को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:31:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।** फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनओं को देखते हुए **लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर** को निर्देशित किया जाता है कि यदि प्रार्थी सम्बन्धित विभाग द्वारा अपीलार्थी को लिखे गये पत्र की प्रति उपलब्ध करवा दे तो अपीलार्थी को नियमानुसार वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु सम्बन्धित विभाग/शाखा को लिख दिया जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:43 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर